प्रकरण संख्या–56 / 2018 2018 / 00085 तारीख रजु–19.07.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन, तहसील हिण्डौन, जिला करौली–प्रार्थी

बनाम

श्री आशीष बंसल पुत्र श्री अशोक बंसल, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली –अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 बाबत् सीज्ड घरेलू गैस सिलेण्डर एक मय 1.6 किलो गैस को राजसात् करने।

निर्णय

दिनांक–27.03.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन श्री अमित कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि श्रीमान् शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के पत्रांक एफ17(2) खा.वि. / न्याय / 2000 जयपुर दिनांक 26.03.2018 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अवैध भंडारण एवं अन्तरण पर निर्बन्धन के प्रावधानों की पालना, अवमानना पर सतर्कता कार्यवाही एवं सुरक्षा मानकों के प्रचार प्रसार हेतु सुरक्षा पखवाडा दिनांक 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 मनाने एवं इसी क्रम में 1 अप्रैल 2018 से 15 अप्रैल 2018 की अवधि में सघन अभियान सुरक्षा पखवाडा चलाकर जिले में संचालित अवैध गतिविधियों के विरूद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्यवाही करने हेतु गठित जाँच दल द्वारा दिनांक 11.04.2018 तहसील हिण्डौन में नगरपरिषद हिण्डौन में श्री आशीष बंसल पुत्र श्री अशोक बंसल, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली की माखन भोग मिष्ठान भण्डार की दुकान से 1 घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते हुए पाये जाने पर 1 घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	तेल कंपनी का नाम	गैस सिलेण्डर का एस.आर.नम्बर	टेयर वेट (किलोग्राम)	ग्रॉस वेट (किलोग्राम)	नेट वेट (किलोग्राम)
1	आईओसीएल	933216	15.9	17.5	1.6

इस प्रकार श्री आशीष बंसल पुत्र श्री अशोक बंसल, बयाना रोड, हिण्डौन सिटी, जिला–करौली द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) एवं 4(क) एवं 5 एवं 7(2) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पर स्वीकार फरमाते हुए जप्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय 9.5 किलो गैस को राजसात् किये जाने का निवेदन किया है।

[illegible] गई।

अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी की दुकान पर व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में 8–9 माह से उक्त दुकान

जिला कलक्टर
करौली

पर व्यवसाय बंद किया जा चुका है। प्रार्थी आगरा में जूता कम्पनी में सर्विस कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त दिवस उसके प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना गलत है। अप्रार्थी द्वारा कभी भी अपनी दुकान पर घरेलू गैस सिलिण्डर का उपयोग नहीं किया गया है। सिलेण्डर दुकान के बाहर इण्डेन कम्पनी के वितरक के सैल्समैन ने रख रखा था। वह साईकिल पर सिलेण्डर की होम डिलेवरी देने गया था। जानकारी की वजह से वह यह कहके गया कि मैं पास के मकान में एक सिलेण्डर सप्लाई कर आता हूं। अभी पांच मिनट में इसे दूसरे ग्राहक को देकर आऊंगा, तब तक यह आपके दासे पर रखा है। अप्रार्थी की सैल्समेन से जानकारी होने के कारण वह रख गया था। अप्रार्थी निर्दोष है। अंत में अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त किये जाने का निवेदन किया है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि सुरक्षा पखवाड़ा के दौरान दिनांक 11.04.2018 को अप्रार्थी श्री आशीष बंसल की दुकान माखन भोग मिष्ठान भण्डार से सिलेण्डर को व्यावसायिक उपयोग करते हुए जब्त किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाये जाने का कथन किया है।

अप्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान में व्यावसायिक सिलेण्डर का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में 8–9 माह से उक्त दुकान पर व्यवसाय बंद किया जा चुका है। निरीक्षण के दिन इण्डेन कम्पनी के वितरक का सैल्समैन यह कहकर कि मैं पास के मकान में एक सिलेण्डर सप्लाई कर आता हूं तब तक के लिए दुकान के दासे पर सिलेण्डर को रख कर साईकिल से होम डिलेवरी देने चला गया था। अप्रार्थी की सैल्समैन से जानकारी थी। अप्रार्थी निर्दोष है। अंत में अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। इण्डेन कम्पनी के वितरक का सैल्समेन द्वारा सिलेण्डर को दुकान के बाहर रखा जाना बताया है जबकि सैल्समैन का वापिस सिलेण्डर को लेने नहीं आना एवं गैस एजेन्सी के संचालक द्वारा ही सिलेण्डर को सुपुर्दगी में लिया जाना, संदेह उत्पन्न करता है। इससे अप्रार्थी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 1.6 किलो राजसात् किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा एक घरेलू गैस सिलेण्डर को मय गैस 1.6 किलो राजसात् किया जाता है। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सिलेण्डर को संबंधित कम्पनी में जमा करवाकर एवं सिलेण्डर की गैस 1.6 किलो की बाजार दर से बिक्री कर प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जाकर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट मय चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति ज़िला रसद अधिकारी करौली को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, करौली